भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1345
जिसका उत्तर 14 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है ।
23 अग्रहायण, 1944 (शक)

आधार कार्ड को अद्यतन करना

1345. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री संतोष कुमार :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आधार विनियमों में संशोधन करके प्रत्येक दस वर्ष में आधार कार्ड को अद्यतन करना अनिवार्य बनाने का विचार है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव से जनता के लिए पुन: समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आधार में बार-बार अद्यतन करने से सरकार और जनता को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जी, नहीं । भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अपनी दिनांक 9.11.2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में निवासियों की जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यह प्रावधान किया है कि आधार धारक, आधार नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष पूरा होने पर आधार में पहचान और पता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करके आधार में अपने सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट कर सकता है।

(ख): यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग): आधार पहचान के सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरा है और इसने करोड़ों निवासियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आसानी से अपनी पहचान और पता सत्यापित करने में सक्षम बनाया है। आधार विवरण को अद्यतन करने से आधार धारक, अद्यतन पते और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

*****